

पत्रांक ५२९६ / ३६९९
सेवा में,

दिनांक रानीखेत ०९/११, २०२३.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु १.२०५ है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक ८बी./यू.सी.पी./०६/२९९/२०१५/एफ.सी./१७६१ दिनांक २४.०१.२०१८।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी है जिसकी अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत् है :-

क्र. सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ४.४१ है० ग्राम देवायल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथोपसंहारित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ४.४१ है० ग्राम देवायल सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ १२८९१२.०० जमा कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण-हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गया है। नामान्तरण खतौनी प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफ.सी. दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७-एफ.सी. दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत एन०पी०वी० की धनराशि ₹ १४४८६८५.०० विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है। रसीद संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	विभाग द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में बढ़ोतरी होती है तो वर्तमान अतिरिक्त बढी हुई दर से एन०पी०वी० जमा जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरेट किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	विभाग द्वारा विषयांकित परियोजना की सभी निधियों (CA Cost, NPV etc) की धनराशि रु २६७७५९७.०० पोर्टल पर (Online Generate) चालान द्वारा कर दी गयी है, जिसकी चालान की प्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की जानी है।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा (Central Verge) पर विभाग द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में (Strp Plantation) की जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।




क्रमशः पेज-२ पर


6.	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents.	विभाग द्वारा सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
----	---	--


अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 5 प्रतियों में।

पत्रांक 4296/36 सी तददिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।


प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है० ग्राम देवायल सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों की रख रखाव योजना की धनराशि ₹ 1228912.00 जमा कर दी गयी है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र


परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से एन०पी०वी० वर्तमान मूल्य की बढोतरी हुई है बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त एन०पी०वी० लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिष्ठासी अभियन्ता


प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


प्रमाण पत्र


परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि ₹ 1448685.00 जमा कर दी गयी है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


प्रमाण पत्र


परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु 1228912.00 तथा एन0पी0वी0 हेतु रु 1448685.00 कुल रु 2677597.00 जमा कर दी गयी है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत

ग्राम-देवायल रा.उ.नि.क्षेत्र-देवायल तहसील-सल्ट जिला:
 गौर ज.वि.खतीनी उद्धारण, खेती 10(प) बंजर नामबिल आ

खता सं.	नाम खतिदार	फसली वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.अं.)	लाग	औदश/विवरण
54.	बजर नामाबिल आबाद	-	1 8 12 14 — 2807 2830 2892 — 2917 2926 2934 — 3297 3363 3369 3374 3378 3383 3390 3394 3396 3399 — 4466 4492 4532 — 447 —	0.205 0.026 0.155 0.026 — 0.009 0.330 0.005 — 0.025 0.642 0.154 — 0.014 0.346 0.035 0.565 0.050 0.063 0.426 0.752 1.290 0.021 — 0.044 0.259 0.105 — 45.525		<p>श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 18 नयाबाद ग्रान्ट नं. 955 के खेत नं. 88 मध्ये 0.10 भूमि 0.25 सैसे लगान सालाना पर मकान हेतु राम पु. खेचराम के नाम स्वीकृत कर नागाकेन गाई / ह.अ.पटवारी देवायल 18/5/79</p> <p>श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दि. 26/3 नयाबाद ग्रान्ट नं. 2345 के खेत नं. 88 मध्ये 0.10 भूमि 0.10 सैसा वार्षिक लगान पर मकान, पुत्र जोधा सिंह पुत्र कुंवर सिंह के नाम स्वीकृत कर की गई। ह.अ.पटवारी देवायल 18-5-79</p> <p>श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश दि. 26 नयाबाद ग्रान्ट नं. 1894 खेत नं. 997 मध्ये 0.10 भूमि 0.30 सैसा वार्षिक लगान पर पुत्र चंद्रपुर सिंह के नाम स्वीकृत कर नागाकेन गाई। ह.अ.पटवारी देवायल 18-5-79</p> <p>श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, उल्मोड़ा के आदेश 28/1/2018-19 दिनांक 06 मई 2019 के खेत नं. 2830 सै. - 0.330 है, खेत नं. 2926 सै. - 0.642 नं. 3363 सै. - 0.346 है, खेत नं. 3374 सै. - 0.565 है, खेत नं. 3383 सै. - 0.050 है, खेत नं. 3390 सै. - 0.426 है, खेत नं. 3394 सै. - 0.752 है, खेत नं. 3396 सै. - 1.290 है, खेत नं. 3399 सै. - 0.021 है, कुल 4.410 है। भूमि को वरिष्ठ बंधुश्री राम पुत्र कुंवर सिंह के पुत्राधिकारिक भिन्नता के स्वीकृत मांग की गई। ह.अ.पटवारी देवायल 06/8/2019.</p>
	योग		447	45.525		

महोदय,
 मूल खतीनी से मूल देयार
 रा.उ.
 देवायल

सीमांकन

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 06-09-2023 को जसपट्ट अल्मोड़ा के विद्यालय तथा शैल बस्तर के अल्मोड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम चवमांडा को मुख्य भाग से जोड़ने हेतु मीटर भाग में अलिपुरा - इशारा रोपण शीम का सीमांकन ग्राम देवामल पटवारी क्षेत्र देवमला लक्ष्मीन स्वर में अमीम कर्मधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के कामोन्म प्लॉट संख्या 896/12-1 (2) दिनांक 18-08-2023 के अनुपालन में वन विभाग, राधारव विभाग तथा ब्लॉक निर्माण विभाग के प्रकल्पिका द्वारा किया गया ग्राम देवामल की पूर्व से चमनिन 4.410 हे० शीम के खाता. खस्ता नाबरा का सीमांकन कार्य पक्के वाट के समीप पूर्ण रूप से गाई गये।

अतः अलिपुराक इशारा रोपण हेतु शीम का सीमांकन आवश्यक कार्य से पूर्ण है।

संगम सिंह
वन कीट अधिकारी
मानिगा I
गदौलस हुकम देह में चौध धने
वृक्ष वर्तमान विभाग हैं।

संगम सिंह
रामेश सिंह
व० प्र० नि०
देवामल
गोविन्द सिंह कनवाला
अमीम
प्र० खण्ड वाठ नि० वि०
रानीबकेल

मन्मोज कुमार
जनिष्ठ अभिलेखी
प्र० खण्ड वाठ नि० वि०
रानीबकेल

<p>13 FP/UK/ROAD/9017/2014 (./Newsreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9017/2014) Construction of Sarpada Chaurull Kota Basse Motor Road</p>	<p>ROAD90172014515 619017051530 Nov 2016</p>	<p>CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: Addl PA: 0/- Plantation of 10 trees effected by project NPV: 352809/-, trees 1518000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1870809/-</p>	<p>29 Jun 2018 Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 02 Jul 2018 On Transaction Date : 10 Jul 2018</p>	<p>Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/611141212144C) Generated Challan (./UserAccount/Net_C ChallanCorp.aspx?)</p>
<p>14 FP/UK/ROAD/9621/2015 (./Newsreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/9621/2015) Construction of Deghat Gauras motor road</p>	<p>ROAD96212015390 619621039027 Oct 2017</p>	<p>CA: 2510772/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: Addl PA: 0/- NPV: 3806725/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 6317497/-</p>	<p>22 Jun 2018 Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 02 Jul 2018 On Transaction Date : 10 Jul 2018</p>	<p>Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/61114125812173) Generated Challan (./UserAccount/Net_C ChallanCorp.aspx?)</p>
<p>15 FP/UK/ROAD/10556/2015 (./Newsreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10556/2015) Construction of motor road to connect Thalmar village.</p>	<p>ROAD105562015838611055683824 Jan 2018</p>	<p>CA: 12288712/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: Addl PA: 0/- NPV: 1448685/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2677597/-</p>	<p>13 Jun 2018 Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 15 Jun 2018 On Transaction Date : 21 Jun 2018</p>	<p>Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/6114121912144C) Generated Challan (./UserAccount/Net_C ChallanCorp.aspx?)</p>


[SWACHH BHARAT \(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/\)](https://swachhbharat.mygov.in/)


[india.gov.in \(HTTPS://INDIA.GOV.IN/\)](https://india.gov.in/)

[Meity \(HTTP://MEITY.GOV.IN/\)](https://meity.gov.in/)

[www.DIGITALINDIA.GOV.IN](https://www.digitaindia.gov.in/)

[my GOV \(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/\)](https://www.mygov.in/)

[NCA \(HTTP://WWW.NIC.IN/\)](http://www.nic.in/)


 Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) |
 Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-ic(at)nic(dot)in

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

देशीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष- 0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.dln@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASHI ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.dln@gov.in

पत्र सं० 08बी/यूपीसी0पी0/06/299/2015/एफओसी0/1761

दिनांक: 24/01/2018

श्रेणी गं.

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 1273/X-4-15/1(646)/2015 दिनांक 18.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10556/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 2.205 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोगता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.41 है० ग्राम-देवायल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं चामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोगता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अपर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोगता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंच पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने तय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide hard copy of proposal containing original or attested copies of all documents.


अपर मुख्य सचिव
24/01/18



उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण वढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.41 हे० ग्राम-देवायल सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैंम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० बिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में suip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्पन्नित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुपति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक


तिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानीयों के ग्राम थलगाड़ को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.00 कि०मी०

Survey Of India Map (Compensatory Afforestation)



Legend :-

CA Area Devayal 4.410 HE

[Signature]
Ammh

[Signature]

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
रानीखेत

[Signature]

बापवासी अभियन्ता
प्रा० वी० लो० वि० नि०
रानीखेत (बस्वाली)


छायाचित्र प्रमाणित

[Signature]
व० द० श्रीगिरीका

सहायक अभियन्ता

प्रा० वी० लो० वि० नि०
रानीखेत


डिजिटल मानचित्र - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अर्न्तगत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 6.00 कि०मी०)




Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Dewalay Civil 4.00 Ha

जियो रेफरेंस मैप -जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Scale - 1:2,500




ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 9' 1.825" E	29° 38' 34.689" N
2	79° 9' 2.677" E	29° 38' 32.453" N
3	79° 9' 3.973" E	29° 38' 30.613" N
4	79° 9' 4.782" E	29° 38' 28.651" N
5	79° 9' 6.991" E	29° 38' 28.283" N
6	79° 9' 9.082" E	29° 38' 29.155" N
7	79° 9' 11.811" E	29° 38' 29.516" N
8	79° 9' 13.152" E	29° 38' 31.467" N
9	79° 9' 13.361" E	29° 38' 32.969" N
10	79° 9' 10.911" E	29° 38' 34.096" N
11	79° 9' 10.610" E	29° 38' 33.343" N
12	79° 9' 8.952" E	29° 38' 33.547" N
13	79° 9' 6.513" E	29° 38' 34.710" N
14	79° 9' 4.280" E	29° 38' 33.645" N
15	79° 9' 2.186" E	29° 38' 34.827" N

Legend


- GPS Coordinates
- Proposed CA Land

प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का स्थान
 प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का स्थान
 प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का स्थान

जियो रेफरेंस मैप - जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु



Scale - 1:10,000



LONGITUDE	LATITUDE	ID	LONGITUDE	LATITUDE
79° 8' 58.921" E	29° 38' 22.023" N	16	79° 9' 34.917" E	29° 39' 12.085" N
79° 8' 59.219" E	29° 38' 28.174" N	17	79° 9' 34.119" E	29° 39' 4.711" N
79° 9' 1.544" E	29° 38' 35.500" N	18	79° 9' 32.884" E	29° 38' 59.730" N
79° 9' 5.613" E	29° 38' 35.970" N	19	79° 9' 41.600" E	29° 38' 54.377" N
79° 9' 11.729" E	29° 38' 35.297" N	20	79° 9' 42.260" E	29° 38' 51.876" N
79° 9' 17.890" E	29° 38' 35.817" N	21	79° 9' 44.675" E	29° 38' 49.161" N
79° 9' 20.408" E	29° 38' 41.395" N	22	79° 9' 45.898" E	29° 38' 42.024" N
79° 9' 18.775" E	29° 38' 46.540" N	23	79° 9' 45.750" E	29° 38' 34.692" N
79° 9' 23.696" E	29° 38' 50.411" N	24	79° 9' 45.058" E	29° 38' 27.973" N
79° 9' 25.107" E	29° 38' 48.406" N	25	79° 9' 47.846" E	29° 38' 28.281" N
79° 9' 32.335" E	29° 38' 47.752" N	26	79° 9' 44.710" E	29° 38' 23.943" N
79° 9' 26.773" E	29° 38' 55.351" N	27	79° 9' 46.656" E	29° 38' 22.216" N
79° 9' 25.469" E	29° 38' 59.886" N	28	79° 9' 44.457" E	29° 38' 20.403" N
79° 9' 29.892" E	29° 39' 3.936" N	29	79° 9' 43.849" E	29° 38' 16.018" N
79° 9' 33.113" E	29° 39' 7.006" N			

प्रपत्र-23.1

13-10-2014-

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत/दिनांक.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री इन्दर सिंह बिष्ट	Indra Singh
2-	श्री कुवराधर सिंह	Kuvrahar Singh
3-	श्री ज्ञानदास	Jnanadas
4-	श्री नारायण राय	Narayana Ray
5-	श्री सन्तनूदास	Santanu Das
6-	श्री ब्रिजपालासिंह	Brijpal Singh
7-	श्री सनप सिंह	Sanap Singh
8-	श्री देवासिंह	Devasingh
9-	श्री मरिचक	MariChak
10-	श्री कल्याणदास	Kalyan Das
11-	श्री महेकासिंह	Mahakasingh
12-	श्री रामदास	Ram Das
13-	श्री भोपालासिंह	Bhopal Singh
14-	श्री नारायण	Narayana
15-	श्री शानदास	Shan Das
16-	श्री अजयसिंह	Ajay Singh
17-	श्री अशोकसिंह	Ashok Singh
18-	श्री अशोकसिंह	Ashok Singh
19-	श्री विजयसिंह	Vijay Singh
20-	श्री अजयसिंह	Ajay Singh

21 श्रीमती वसन्ती देवी
अध्यक्ष/पंचायत

प्रधान
श्रीमती

ग्राम पंचायत - थलमांड

पौड क्षेत्र देवायल

विकास समिति प्रधान (अलमोडा)

पंचायत प्रमाणित

पंचायत प्रमुख

माननीय ए.ए. लॉन्गिनोवि

रानीखेत

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.2

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उप परम्परागत वन अधिनियम, 2006 के तहत

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सुरत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, सुरत

उपखण्ड सुरत परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वनों (100 हे० आरक्षित वन भूमि, 250 हे० सिविल एवं सोयम, 100 हे० भूमि, 250 हे० पंचायत भूमि, 250 हे० वन भूमि) का अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सुरत) की दिनांक 73-10-014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री राजेश कुमार उपजिलाधिकारी सुरत अध्यक्ष
- 2- श्री राजेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी सुरत सदस्य
- 3- श्री राजेश कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी सुरत सदस्य/सचिव
- श्री राजेश कुमार बी०डी०सी० क्षेत्र सुरत सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी Ram Singh की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उप परम्परागत वनों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों

भूमि सुरत को 070 हे० 100 हे०

संभक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सुरत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।



बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड से उपखण्ड के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु 2.205
है 0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-
03-08/199

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

AD
Admin

D. K. K. K. K.
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-
03-08/199

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-
03-08/199

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....16.01.15.....at time....6.00 PM.....at Almora, in which application claiming rights of area measuring 2.20.5. hect. for the Construction of .seth.rita.Sang.Ram.Senani.vill...Thalmar.... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.


After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


16.01.15
District Collector


(Full name of the official seal of the District Collector)


राज्य सरकार
प्रदेशीय राज्य, लोहा-मोडि
रानीखेत

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2205 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above


 Date: 16/10/2024
 District Collector's Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)


 District Collector
 District Collector
 District Collector

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :
Dated:.....


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that: 2.205.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept., Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of S.w. in Thala Sangram.....Senari's village.....Thalmar.....Road.....
(Purpose for diversion of forest land) in Almora.....district falls within jurisdiction of Thalmar.....village(s) in Salt.....Tehsils.


It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.205.....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above


for the District Collector
Signature
District Collector

(Full name of the official seal of the District Collector)


राज्य सरकार
प्रदेशीय मंत्रालय
समीक्षक

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :-

राज

राजस्थान राज्य

जोड़ का

के साथ बकाया

नब सिगोर

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद... के अन्तर्गत प्रस्तावित

राजस्थान राज्य

परियोजना के निर्माण हेतु 21225 हे० वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को

प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
धरमोड़ा

जिलाधिकारी

राजस्थान राज्य
प्राथमिक शिक्षण
समीक्षक

परियोजना का नाम :-

विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड तक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड तक मोटर मार्ग के निर्माण में 2.12.20... है 0 वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ^{पटवारी} के खतौनी खाता सं 0 ... की 4.4.10 है 0 सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)



सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)



अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)



अध्यापक सल्ट
पटवारी, थलमाड
रानीखेत (अल्मोड़ा)
सं 0 ... की 4.4.10 है 0



सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)



अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)



सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)



19/07/2015 - 29

प्रपत्र-42

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव थलमाड को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना (4.410है0)


वृक्षारोपण स्थल का नाम :- देवायल(सिविल), तहसील-सल्ट क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक भूमि- 4.410है0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 4851 (1100 पौधे प्रति है0 की दर से कुल 4851 वृक्ष)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	ईकाई दर (रु0)	योग
1.	सर्वे एवं सीमांकन	4.410 है0	97.00	427.77
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	4.410 है0	584.00	2575.44
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी(फैन्सिंग) 84 घन मी प्रति है0 की दर से	422.00 घन मी	315.00	132930.00
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान			
अ	पत्थरों का चैक डेम	4.410	76600	337806.00
ब	वाटर हायड्रेंटिंग डेम			
5.	कन्टूर फर्शें कार्य प्रति है0 600 र0मी0 की दर से	1560.00 र0 मी	7.33	11434.80
6.	गड्ढा खुदान (0.30X0.30X0.45)	5544 पौधे	7.33	40637.52
7.	निरीक्षण बटिया बनाना	4.410 है0	485.00	2138.85
8.	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	5544 पौधे	5.89	32654.16
9.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	4.410 है0	400.00	1764.00
	योग प्रथम चरण -			562368.54
द्वितीय चरण				
1.	गड्ढा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	5544.000 पौधे	1.15	6375.60
2.	कन्टूर फर्शें में बीज बुआई प्रति है0 600 र0मी0 की दर से	2230.00 र0 मी	0.69	1538.70
3.	पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष)	5544.000 पौधे	1.15	6375.60
4.	पौधे डुलान कार्य	5544.000 पौधे	6.39	35426.16
5.	पौधारोपण व थावला बन्दी	5544.000 पौधे	2.06	11420.64
6.	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	5544.000 पौधे	0.76	4213.44
7.	खाद व दवा पर व्यय	5544.000 कि0ग्रा	0.21	1164.24
8-1	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (596% है0X18माह)	5.040 है0	4768.00	24030.72
8-2.	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	2.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	4.410 है0	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरवाड़ के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना	4.410 है0	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410 है0	600.00	2646.00

आयुक्त प्रशासित
प्रधान्यक अधिकारी
प्रादेशीय वन्य, लोकोपयोगि
रानीपेट

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	ईकाई दर (₹0)	योग
9.	अन्य व्यय पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डैक्लैटेशन आदि कार्य	4.410	700.00	3087.00
	योग द्वितीय चरण			98813.85
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			661182.39
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	6.65	7152.00	47560.80
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाढ़ के बाहर 40मी0 की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
2	अन्य कार्य			
योग (तृतीय वर्ष रख रखाव)				
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	4.410	7152.00	31540.32
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाढ़ के बाहर 40मी0 की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
योग (चतुर्थ वर्ष रख रखाव)				
वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	4.410	7152.00	31540.32
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाढ़ के बाहर 40मी0 की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
योग (पंचम वर्ष रख रखाव)				
योग (पंचम वर्ष रख रखाव)				
				36325.17



 जलानि प्रमाणित
 उपायक अतिरिक्त
 प्रांतीय सचिव, सी.डी.डी.ओ.
 रा.सि.सं.


क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	ईकाई दर (₹)	योग
वृक्षारोपण का सष्ठम वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुक्षण कार्य	4.410	7152.00	31540.32
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी0 की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
योग (सष्ठम वर्ष रख रखाव)				36325.17
वृक्षारोपण का सप्तम वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुक्षण कार्य	4.410	7152.00	31540.32
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी0 की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
योग (सप्तम वर्ष रख रखाव)				36325.17
वृक्षारोपण का अष्ठम वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुक्षण कार्य	4.410	7152.00	31540.32
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी0 की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
योग (अष्ठम वर्ष रख रखाव)				36325.17
वृक्षारोपण का नवम वर्ष का रख-रखाव				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुक्षण कार्य	4.410	7152.00	31540.32
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	4.410	350.00	1543.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी0 की पट्टी साफ करना	4.410	225.00	992.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	4.410	510.00	2249.10
3.	अन्य कार्य			
योग (नवे वर्ष रख रखाव)				36325.17


2-19

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

- 1- Construction of motorRoad for Thalmar Village.
- 2- Details of Muck Diposal Yards with Land Owner Annexure II



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोडनिठवि०,
रानीखेत।


अधियासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोडनिठवि०,
रानीखेत।


छायाजी प्रभाकर
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोडनिठवि०
रानीखेत

| INDEX |

SL NO.	DESCRIPTION	PAGE NO.	
		FROM	TO
1	TITLE PAGE		
2	DISPOSAL PLAN		
3	OWNER'S DETAIL		
8	ANALYSIS OF RATES		
9	DETAIL OF MEASUREMENT		
10	BILL OF QUANTITY		


 ವಿಜಯ ಕೆ. ಕುಮಾರ್
 ವಿಜಯ ಕೆ. ಕುಮಾರ್
 ವಿಜಯ ಕೆ. ಕುಮಾರ್
 ವಿಜಯ ಕೆ. ಕುಮಾರ್

Name of work--Construction of the motor road For Thalmar village.

Total Lengh of Motor Road - 6.00 Km
 Length Passing through Nap land - 3857.00mt
 Length Passing through Forest land - 3150.00mt

s.n.	material received from hill side cutting (Forest Land)	
1	Km.1-20, 1/2(3150X6X3.00)	28350.00 cum
	total	28350.00 cum
2	40% for swell factor	11340 cum
	total	39690.00 cum

Disposal and use of material

1	Retaining wall	6x200x(0.60+1.59)/2x3	2400 cum
2	Breast Wall	6x100x(60+0.90)/2x1.80	810 cum
3	Hand packed stone Filling	(6x350x1x2)/2	2100 cum
4	Construction of scrapper	6x8x37.09	1780.32 cum
5	Soling works	6000x4.05x0.12	2916 cum
6	total used	10006.32	10006.32 cum
7	material disposed by cartage in dumping yard	29683.68	29683.68 cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

location of dumping yard	Size of Dumping area	type of land	capacity of dumping yard (cum)
km 1	4X70X20X3	nap land	16800.00
km 4	2X60x20x3	nap land	14400.00

Total 31200.00 cum.

summary of dabries disposal

s.n.	total dabries	material disposal by cartage	reused material for road construction	disposal in dumping zone	balance dabries
1	39690	29683.68	10006.32	29683.68	NIL


सहायक-अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 रानीखेत।


अधिशोषी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 रानीखेत।


सायबल प्रसाद
 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
 रानीखेत

Name of work--Construction of the motor road For Thalmar village.

Detail of Measurement						unit		
S.No.	Item of Work	No.	Length	Width	Height	Qty		
1	Excavation in foundation for retaining walls in all type of soils and rocks including lead,lift and disposal surplus material as per direction of engineer in charge. (for 90X15X2.5)	1X1	50.00	1.60	0.50	40.00	cum	
		1X2X1	18.40	1.60	0.50	29.44	cum	
		1X1	60.00	1.60	0.50	48.00		
		1X2X1	18.40	1.60	0.50	29.44		
			Total				146.88	cum
3	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall,retaining wall, parapets,scupper etc. Including supply of all materials,labour,t & p& royalty etc,required for propercompletion of work.(As per PWD Uttarakhhand specifications	1X3	70.00	(0.6+1.6)/2	4.00	924.00	cum	
		1X6X1	18.40	(0.6+1.6)/2	4.00	485.76	cum	
		1X3	60.00	(0.6+1.6)/2	4.00	792.00		
		1X2X3	18.40	(0.6+1.6)/2	4.00	485.76		
			Total				2687.52	cum
4	Required area of nap land. Area of dumping yard	1X3	70.00	20.00		4200.00		
		1X3	60.00	20.00		3600.00		
							7800.00	sqm
							0.78	hec


 सहायक अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
 रानीखेत।


 अध्याक्ष अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
 रानीखेत।


 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
 रानीखेत

BILL OF QUANTITIES

Name of work--Construction of the motor road For Thalmar village.

Sl. No.	Name of Item	Qty.	Unit	Rate	Per	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Excavation in foundation for retaining walls in all type of soils and rocks including lead, lift and disposal surplus material as per direction of engineer in charge.	146.88	cum	228.40	cum	33547.39
2	Random Rubble Masonary laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. Including supply of all materials, labour, t & p & royalty etc, required for proper completion of work. (As per PWD Uttarakhhand specifications)	2687.52	Cum	1495.00	Cum	4017842.40
3	Required area of nap land.	0.42	hec.	812500.00	hec	341250.00
		0.36	hec.	812500.00	hec	292500.00
					Total	4685139.79

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोन्निविण,
रानीखेत।

अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोन्निविण,
रानीखेत।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,
लोन्निविण

प्रान्तीय सहायक अभियन्ता,
लोन्निविण

अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोन्निविण
रानीखेत

Analysis of rate


Name of work--Construction of the motor road For Thalmar village.


1- Excavation in foundation for retaining walls in all type of soils and rocks including lead,lift and disposal surplus material as per direction of engineer in charge.

Rate as per Roads & Bridges SOR Si No. 75476 16-1 =Rs 228.40 Per Sqm

2- Random Rubble Masonary laid dry in breast wall,retaining wall, parapets,scupper etc. Including supply of all materials,labour,t & p& royalty etc,required for propercompletion of work.(As per PWD Uttarakhhand specifications
Rate as per Roads & Bridges SOR Si No. 75478 16-3 =Rs 1495.00 per Sqm

3- rate of nap land (upto 100 mt from road side)
unirrigated land =Rs 812500.00 Per Hec.
=Rs 812500 Per Hec.


सहायक अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लोन्गिठि,
रानीखेत।


अभियन्ता अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लोन्गिठि,
रानीखेत।


सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लोन्गिठि,
रानीखेत

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में शलमाड गावें गोटर मार्ग।				
वृक्षारोपण स्थल का नाम :- मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल 0.22 हे०				
वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 0.78 हे०				
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल x 2000 पौध) 1560 पौध				
क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई दर	इकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.78	78.00	60.84
2	स्थल सफाई कार्य	0.78	2543.00	1983.54
3	कुल दीवारबन्दी कार्य/फर्निशिंग (150मी० प्रति हे० = 81घ.मी. / @ 172 / घ.मी.	0.78	15309.00	11941.02
4	गड्डा खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45) रेखांकन चूना सहित	1560.00	5.42	8455.2
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड्डा	39.00	19.00	741.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना (4)० रु० प्रति हे०	0.78	624.00	486.72
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	1560.00	4.30	6708.00
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10हे०) के आधार पर मानते हुए			
	1. वानस्पतिक/स्टेन चैकडेन 8 X 4588 = 36700.00	0.78	624.00	486.72
	3. वाटर हार्वेस्टिंग टैंक (3 X 2.50X1.0) 5 X 5140 = 25700.00			
	योग :- 62400.00			30863.04
द्वितीय चरण				
1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बास)	0.78	1287.0	1003.86
2	गड्डा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	1560	0.97	1513.20
3	पौध डुलान कार्य	1560	6.00	9360.00
4	पौधारोपण थालबन्दी	1560	1.89	2948.40
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई व मल्लिग कार्य	1560	1.29	2012.40
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई व मल्लिग कार्य	1560	1.11	1731.60
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	1560	1.20	1872.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रख रखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.78	468.00	365.04
9	अन्य कार्य	0.78	310.00	241.80
	योग-द्वितीय चरण			21048.30
	योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण			51911.34
तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति हे०				
1	पौध की लागत	1560	5.50	8580.00
2	पौध डुलान कार्य	1560	6.00	9360.00
3	पुनः गड्डे खोदना एवं रोपण कार्य	1560	3.20	4992.00
4	पौधों में गोबर खाद डालना लागत सहित	1560	1.31	2043.60
5	पौधों की शीतकालीन मल्लिग	1560	1.11	1731.60
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	0.78	468.00	365.04
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.78	310.00	241.80
	योग - तृतीय चरण			27314.04
चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.78	468.00	365.04
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.78	310.00	241.80
	योग - चतुर्थ चरण			606.84
पंचम चरण (रख रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.78	468.00	365.04

उपरोक्त कार्य

व्यय

प्रारंभिक रूप, 10/10/10

10/10/10

क्र.सं.	कार्य का नाम	दस्तावेज	प्रतिशत	रकम
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य			606.84
	योग - पंचम चरण			606.84
छठवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह		0.78	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)		0.78	310.00
	योग - छठवा चरण			606.84
सातवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह		0.78	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)		0.78	310.00
	योग - सातवा चरण			606.84
आठवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह		0.78	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)		0.78	310.00
	योग - आठवा चरण			606.84
नवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह		0.78	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)		0.78	310.00
	योग - नवें चरण			606.84
दसवा चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह		0.78	468.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)		0.78	310.00
	योग - दसवें चरण			606.84
कुल धनराशि				
			प्रथम चरण	30863.04
			द्वितीय चरण	21048.30
			तृतीय चरण	27314.04
			चतुर्थ चरण	606.84
			पंचम चरण	606.84
			षष्ठम चरण	606.84
			सप्तम चरण	606.84
			अष्टम चरण	606.84
			नवम चरण	606.84
			दशम चरण	606.84
			कुल योग :-	83473.26
			या :-	83473.00

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

अभिधीन अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

प्रान्तीय कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

उत्साह
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 296 / ए-3/कुमायूँ/2006

दिनांक, 31-10-2006

सेवा में,


अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि० विभाग,
रानीखेत।

विशय :-

जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थलमाड मोटर मार्ग के 6.00 किमी. सड़क संरेखन का भूगर्भीय निरीक्षण।

जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थलमाड मोटर मार्ग के 6.00 किमी. सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संख्या जी०-293/सड़क संरेखन/कुमायूँ/2006 की एक प्रति सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार



(मणि कर्णिका मिश्र),


भू-वैज्ञानिक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 296 / ए-3/कुमायूँ/2006
प्रतिलिपि :-

तददिनांक,

1. मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 43वें वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
3. भू-वैज्ञानिक लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की सेवा में उक्त आख्या की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित।


कार्यालय प्रमाणित
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि० विभाग,
रानीखेत

सत्य प्रति लिपि



सहायक अभियन्ता (चतुर्थ),
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि० विभाग, रानीखेत
मुख्यालय - राधमनगर

भू-वैज्ञानिक
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

भूगर्भीय खण्ड

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या संख्या जी-292 / सड़क संरेखन
/ कुमायूँ / 2006

जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थलमाड़ मोटर मार्ग के 6.00
किमी. सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

छायांक प्रमाणित
कार्यालय अभियन्ता
प्राचीन खण्ड, भूगर्भीय
समाख्यत

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता चतुर्थ
प्राचीन खण्ड, भूगर्भीय, राजकोट
मुख्यालय - राजकोट

अक्टूबर
2006

इस संरेखन क्षेत्र में चट्टानों में भूगर्भीय टेक्टोनिक क्रम निम्नवत है :-

घास आदि

मिट्टी की परत

डेब्रिस

शिरट

शिरट

क्वार्ट्जबेन

शिरट

नाईस

नाईस

क्वार्ट्जसाइट

नाईस

इस सम्पूर्ण संरेखन में पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में हैं।

4. स्थल वर्णन :-

यह सड़क संरेखन हिनोला-काने-खलपाटी मोटर मार्ग के किमी. 2.00 से प्रारम्भ होकर थलमाड ग्राम के बीच 6.00 किमी. लम्बाई में फैला हुआ है। यह संरेखन उक्त मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर 250 मी. पश्चिमोत्तर दिशा को पूर्वोत्तर दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। उसके बाद किमी. 1 के अन्त तक संरेखण दक्षिणपूर्व दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। किमी. 2 का पहाड़ी ढलान पूर्वोत्तर दिशा की ओर तथा किमी. 3-6 का पहाड़ी ढलान दक्षिणपूर्व दिशा की ओर है।

इस संरेखण के किमी. 1 में गिंगडे एवं प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है। किमी. 2 में देवायल ग्राम एवं इंटर कालेज, प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है। किमी. 5-6 में थलमाड गांव एवं मंदिर तथा प्राइमरी पाठशाला विद्यमान है।

इस सम्पूर्ण संरेखण का अधिकतम भाग बेनाप भूमि में तथा शेष भाग नाप भूमि में से होकर गुजरता है। इसे संरेखण में कई सूखे नाले विद्यमान हैं। नाप भूमि में मिट्टी के नीचे चट्टाने विद्यमान हैं। इस संरेखण में कोई भी भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान नहीं है। नाप भूमि में कोई भी बृक्ष विद्यमान नहीं है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु दो संरेखण स्थल देखे गये जिसमें से प्रथम संरेखण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से उचित एवं उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित किया गया है। द्वितीय संरेखण स्थल भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर निरस्त किया गया है।

5. स्थायित्व का विचार :-

इस सड़क संरेखन की स्थल संरचना व बनावट स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

उपरोक्त विवरण

सर्वोच्च अधिकारी

सर्वोच्च अधिकारी,
राज्य सरकार,
राज्य सरकार

राज्य प्रशासिका

महायुक्त अधिकारी

राज्य सरकार

राज्य सरकार

मुद्रांकन - राजपत्र

1. यह सड़क संरेखन पर्वतीय क्षेत्र में है।
2. यह भूकम्पीय क्षेत्र है।
3. पर्यावरण का ध्यान रखा जाय।
4. इसमें कई ग्राम विद्यमान है।
5. संरेखन का अधिकतम भाग चट्टानी भाग एवं बेचाप भूमि से गुजरता है।
6. इसमें कई सूखे चाले विद्यमान है।
7. पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में।
8. इसमें कोई भी पेरिनियल चाला विद्यमान नहीं है।
9. इसमें कोई भी भूस्खलन क्षेत्र विद्यमान नहीं है।
10. इसमें कई प्राइमरी पाठशालाएं एवं गदिर तथा एक इंटर कालेज विद्यमान है।


6- सुझाव :-

इस सड़क संरेखन की स्थल संरचना व बगलट स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भूकम्पीय, भूजलीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. पहाड़ी की ओर चाली का निर्माण किया जाय।
2. सूखे चालों पर स्क्वोर/उबल स्क्वोर/ कलवर्ट/ कॉजवे का निर्माण किया जाय।
3. मिट्टी/डेब्रिस/गोंव वाले भाग में बेस्ट/स्टेनिय चाल का निर्माण किया जाय।
4. मिट्टी वाले भाग में मार्ग के बाह्य भाग को ऊचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में मार्ग को पार कर पानी न बह सके तथा मार्ग रथावत बना रहे।
5. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।
6. गोंव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
7. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले पुलों के मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
8. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
9. अन्य आवश्यक उपाय जो संरेखन क्षेत्र में मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किये जाय।

7. निष्कर्ष

1. उपरोक्त वर्णित विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में मार्ग निर्माण करना उचित एवं उपयुक्त प्रतीत होता है।
2. उपरोक्त वर्णित विन्दुओं पर स्थल निरीक्षण के दिन सम्बन्धित कर्मचारियों / अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया।


21/10/06

(गणि कर्णिका मिश्र)

भू-वैज्ञानिक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

सत्य प्रतिनिधि



प्रमुख उपस्थिति
रचित

कार्यालय अभियन्ता (भूगणि)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (भूगणि)

लोक निर्माण विभाग - अल्मोड़ा


वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र


कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


लंबाई - 6.00 किमी.


क्र.	ग्राम का नाम	प्रजाति	व्यास वार श्रेणी							योग	
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80		80-90
1	देवायल	चीड़	10	5	-	-	-	-	-	-	15

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों की सं० 15 है।


()
 (रामपाल सिंह)
 अमीन
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
 रानीखेत


()
 (सुनित कुमार सिंह)
 कनिष्ठ अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
 रानीखेत

()
 (अशोक कुमार)
 सहायक अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
 रानीखेत

()
 (के० एस० असवाल)
 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
 रानीखेत

()
 राजि वनाधिकारी
 वन विभाग, लो०नि०वि०
 रानीखेत

()
 वन दरोगा
 वन विभाग, लो०नि०वि०
 रानीखेत

()
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन विभाग, लो०नि०वि०
 रानीखेत

()
 प्रमाणित

()
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
 रानीखेत